न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : मुक्तानन्द अग्रवाल, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या –04 / 2017 (आव.व.अधि)

सरकार जर्ये अमित कुमार शर्मा प्रवर्तन निरीक्षक , कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा।

–प्रार्थी

बनाम

मैसर्स माहेश्वरी मिर्च मसाला, इन्द्रा विहार, कोटा कार्यकर्ता श्री वी.एस. तोतलाएवं श्री अशोक माहेश्वरी पुत्र श्री घनश्याम लाल माहेश्वरी, निवासी म0नं0 609, इन्द्रा विहार कोटा ।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक– 10.07.2019

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि श्री अमित कुमार शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी, कोटा द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि दिनांक 22.8.2017 को जिला रसद अधिकारी कोटा एवं जांच दल में सम्मिलित सदस्य श्री अमित कुमार शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक श्री अरविन्द आचार्य श्री आशीष पाठकसेल्स ऑफिसर, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉ0 लि0 कोटा समय सांय 5.03 बजे पर मैसर्स माहेश्वरी मिर्च मसाला, इन्द्रा विहार, कोटा श्री वी.एस. तोतला एवं श्री अशोक माहेश्वरी पुत्र श्री घनश्याम लाल माहेश्वरी म0नं0 60, इन्द्रा विहार कोटा द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डर्स के दुरूपयोग की जांच हेतु मौके पर पहुंचे मौके पर श्री वी.एस. तोतला एवं श्री अशोक माहेश्वरी पुत्र घनश्याम लाल माहेश्वरी म0नं0 609, इन्द्रा विहार कोटा उपस्थित मिले, जिन्होने स्वयं को फर्म का कार्यकर्ता होना बताया एवं रेस्टोरेन्ट की जांच करवाई । वक्त जांच इस प्रकार स्थिति पाई गई कि श्री वी.एस. तोतला एवं श्री अशोक माहेश्वरी पुत्र घनश्यामलाल माहेश्वरी म0नं0 609, इन्द्रा विहार कोटा घरेलू गैस सिलेण्डर्स का अवैध रूप से संग्रहण किया जाना पाया गया । मौके पर पाये गये घरेलु गैस सिलेण्डर्स के अवैध संग्रहण के बारे में उपस्थित मैनेजर /फर्म मालिक द्वारा हस्ताक्षर करने से मना किया व जांच में सहयोग किया एवं राजकार्य में बाधा उत्पन्न की गई । रेस्टोरेन्ट में उपस्थित व्यक्तियों द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया । उक्त घरेलु गैस सिलेण्डर्स के वैद्य दस्तावेज चाहने पर उपस्थित द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये ।

2. इस प्रकार मौके पर पाये गये निम्नांकित विवरण के घरेलु गैस सिलेण्डर्स का दुरूपयोग करने तथा जिस उपयोग हेतु गैस कनेक्शन जारी किया गया है, उस उपयोग में नहीं लेने के कारण द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(1) आदि धाराओं का उल्लंघन पाये जाने से मौके से जप्त किया जाकर मौके पर ही उपस्थित श्री दिलीप सिंह पुत्र श्री बृजराज सिंह निवासी म0नं0 672 बालापुरा कुन्हाडी कोटा को सुपुर्दगी में शर्तो के अनुसार दिया गया । सिलेण्डर्स का विवरण निम्नानुसार है–

जिला कलक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

क्र. सं.	तेल कम्पनी का नाम	गैस सिलेण्डर्स के एस.आर. नम्बर	टेयर वेट (किलोग्राम)	ग्रॉस वेट (किलोग्राम)	नेट वेट (किलोग्राम)
1	I.O.C.L	412357	15.7	15.7	0
2	B.P.C.L	136648	15.5	15.5	0
3	B.P.C.L	071803	15.4	15.4	0
4	B.P.C.L	95612T	15.7	15.7	0
5	I.O.C.L	अपठनीय (C17)	16.4	16.4	0
6	I.O.C.L	7929080	15.4	15.4	0
7	B.P.C.L	558314	15.8	15.8	0
8	B.P.C.L	977671	15.8	15.8	0
9	I.O.C.L	117740	16.0	16.0	0

3. इस प्रकार उक्त श्री वी.एस. तोतला एवं श्री अशोक माहेश्वरी पुत्र श्री घनश्याम लाल माहेश्वरी म.नं. 609 इन्द्रा विहार कोटा द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनुदानित घरेलु गैस सिलेण्डर्स का अवैध रूप से संग्रहण कर द्रवित पेट्रोलियम (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3(1)(ए), (बी) का स्पष्ट उल्लंघन किया है । अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000 के तहत उक्तानुसार अधिग्रहित कुल 9 उपयोग के सिलेण्डर को राजसात करने के आदेश फरमावें तथा धारा 6–ए(2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश फरमावें ।

4. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 बी के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी को नोटिस तामिल होने एवं वावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है, अप्रार्थी के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर प्रार्थीपक्ष की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

5. पैरोकार रसद की बहस सुनी गई । दौराने बहस जिला रसद अधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराया एवं अप्रार्थी के विरूद्व की गई कार्यवाही को उचित बताया एवं जब्तशुदा 09 सिलेण्डरों को राजसात करने की प्रार्थना की गई ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी व बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । दिनांक 22.8.2017 को जिला रसद अधिकारी कोटा एवं जांच दल में सम्मिलित सदस्य श्री अमित कुमार शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक श्री अरविन्द आचार्य श्री आशीष पाठक सेल्स ऑफिसर, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉ0 लि0 कोटा समय सांय 5.03 बजे पर मैसर्स माहेश्वरी मिर्च मसाला, इन्द्रा विहार, कोटा श्री वी.एस. तोतला एवं श्री अशोक माहेश्वरी पुत्र श्री घनश्याम लाल माहेश्वरी म0नं0 60, इन्द्रा विहार कोटा द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डर्स के दुरूपयोग की जांच हेतु मौके पर पहुंचे मौके पर पहुंचे तथा मौके पर श्री वी.एस. तोतला एवं श्री अशोक माहेश्वरी पुत्र घनश्याम लाल माहेश्वरी म0नं0 609, इन्द्रा विहार कोटा उपस्थित मिले, जिन्होने स्वयं को फर्म का कार्यकर्ता होना बताया एवं रेस्टोरेन्ट की जांच करवाई । वक्त जांच श्री वी.एस. तोतला एवं श्री अशोक माहेश्वरी पुत्र घनश्यामलाल माहेश्वरी म0नं0 609, इन्द्रा विहार कोटा घरेलू गैस सिलेण्डर्स का अवैध रूप से संग्रहण किया जाना पाया गया । मौके पर पाये गये घरेलु गैस सिलेण्डर्स के अवैध संग्रहण के बारे में उपस्थित मैनेजर /फर्म मालिक द्वारा हस्ताक्षर करने से मना किया व जांच में सहयोग किया एवं राजकार्य में बाधा उत्पन्न की गई । रेस्टोरेन्ट में उपस्थित व्यक्तियों द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया । उक्त घरेलु गैस सिलेण्डर्स के वैद्य दस्तावेज चाहने पर उपस्थित द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये । मौके पर पाये गये घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध उपयोग फर्द चैंकिग व जब्ती से होती है । इस प्रकार मौके पर पाये गये उपरोक्त विवरण के घरेलु गैस सिलेण्डर्स का दुरूपयोग करने

Scanned by CamScanner

तथा जिस उपयोग हेतु गैस कनेक्शन जारी किया गया है, उस उपयोग में नहीं लेने के कारण द्रवित पेट्रोलियम (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3(1)(ए), (वी) का स्पष्ट उल्लंघन किया है ।

7. अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत सीज्ड माल 09 (नौं) घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात (Confiscation) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी कोटा को आदेश की प्रति पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तामील तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 10.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुक्तानन्द अग्रवाल)
जिला कलेक्टर, कोटा

Scanned by CamScanner